भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3857 का उत्तर

रेलवे में पुलिस की सेवाएं

3857. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रेलवे में पुलिस की सेवाएं प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार रेलवे को पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के निर्देश देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का रेलवे में और अधिक पुलिस की व्यवस्था करके रेलगाड़ियों में अपराधों को रोकने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने सौम्या हत्या के आलोक में रेलवे में पुलिस की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता की जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार को रेलवे में पुलिस के लिए सृजित 200 पदों को स्वीकृति देने के लिए केरल राज्य सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है;

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या सरकार का इसे मंजूरी देने का विचार है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ट): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य विषय हैं और इस प्रकार, राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल

पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण और जांच तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए उत्तरदायी हैं। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है। राजकीय रेल पुलिस की लागत का 50% रेलवे द्वारा वहन किया जाता है।

राज्यों को राजकीय रेल पुलिस में अपनी जनशक्ति बढ़ाने का निर्देश केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। बहरहाल, राज्य सरकार ही आवश्यकता का आकलन करती है और यदि ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो राजकीय रेल पुलिस में जनशक्ति बढ़ाने के लिए रेलवे को अपना प्रस्ताव देती है। रेलवे द्वारा आवश्यकता, औचित्य, वित्तीय निहितार्थ आदि के आधार पर इन प्रस्तावों की जांच की जाती है और आगे निर्णय लिया जाता है। सौम्या मामले में, राज्य सरकार का प्रस्ताव न्यायोचित नहीं पाया गया है और तदनुसार, राज्य सरकार को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

बहरहाल, रेलों द्वारा रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा हेतु राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के समन्वय से निम्न कदम उठाए गए हैं:-

1. संवेदनशील और चिह्नित मार्गों/खंडों पर विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा रेलगाड़ियों के प्रतिदिन किए जा रहे मार्गरक्षण के अतिरिक्त रेल संरक्षा बल द्वारा भी रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।
2. तत्काल सहायता के लिए यात्री रेल मदद पोर्टल पर सीधे या हेल्पलाइन नंबर 139 [राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।
3. यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर, फेसबुक, कू आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।
4. चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को जागरूक करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।

5. 'मेरी सहेली' पहल के तहत, लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की उनकी पूरी यात्रा अर्थात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक उनकी संरक्षा और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
6. क्षेत्रीय रेलों को यथासंभव सीमा तक रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों में समुचित संयुक्त संख्या में पुरुष एवं महिला रेसुब/रेसुविब कार्मिकों की तैनाती करने के अनुदेश दिए गए हैं।
7. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।

*****